रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 –Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 1983/श्रावण 28 : 1905
No. 311] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 1983/SRAVANA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1983

सं. 233/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 660 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96-ठ, 96-द और 96-यट में "223-क," अंको और अक्षर के पश्चात् "223ख," अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 71/47/82-के.उ.शु.-2]

एच. तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 1983

NO. 233|83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 660(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :

1. (1) These rules may be called the Central Excise (9th Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rules 96-L, 96-R and 96-ZK, after the figures and letter "223-A,", the figures and letter "223-B," shall be inserted.

[F. No. 71|47|82-CX.2]

H. TEWARI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983